


निगरानी 1633-4-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय गवालियर कैम्प रीवा म०प्र०



19201-

155
27.5.15

उमा देवी सेन पुत्री स्व०मोती लाल सेन पत्नी गैवी प्रसाद सेन निवासी
ग्राम बरेही, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म०प्र० — निगरानीकर्ता
बनाम

1. उर्मिला सेन उर्फ अन्जुसेन पुत्री स्व०श्रीमोती लाल सेन पति
सौखी लाल सेन निवासी ग्राम बरेही, तहसील रायपुर कर्चु
डाल निवासी ग्राम व पो०मउ, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म०प्र०

— गैर निगरानीकर्ता

श्री अनन्त सिन्हा
द्वारा आज दिनांक 27.5.15
प्रस्तुत किया गया।

रीवा
सर्किट कोर्ट रीवा

न्यायालय अनु० अधिकारी महोदय
तहसील रायपुर कर्चु०के राजस्व प्र०क्र० 1236/
12-13 में पारित आदेश दिनांक 30.3.15
के विरुद्ध म०प्र०भू०र०स०की धारा 50 के
अधीन निगरानी

मान्यवर,

निगरानी का सूत्र विवरण:-

8.6.15


साकिम बरेही, तहसील रायपुर कर्चु०, जिला रीवा म०प्र०की स्थित
आराजी नं० 716/1 रकबा 0.057 हे. , 799 रकबा 0.26 अहे. , दो किता
कुल रकबा 0.320 यानी 0.79 ए. स्थित भूमि के भूमिस्वामी अपीला रिया
के पिता मोती लाल सेन के जिन्के कोई पुरुष संतान नही थी, उनकी सेवा
निगरानीकर्ता करती थी, जिसे काफी खुस रहते थे इससे पूर्व भूमिस्वामी
निगरानीकर्ता के पिता निगरानीकर्ताको उक्त आराजी नम्बर मंजीकृत
बसीयतनामा द्वारा अन्तिम इच्छा पत्र दिनांक 20.12.2012 को निष्पादित
कराकर उक्त भूमि पर अपने जीवन काल में कब्जा सौंप दिये और अपी०
उक्त भूमि पर काबिज होकर जमी का प्रतकारी करने लगी और उक्त
बसीयत के आधार पर तहसीलदार रायपुर कर्चु०के यहाँ नामान्तरण
का आवेदन दिया जिस आवेदन पर माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा

उमा सेन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... Rs 1688-1111 - जिला ...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p><u>12/5/16</u></p>	<p>श्रीलोक अभिनव को शिबिरक उपनिवार मंत्री/ वरमन समग्रक शिवालय कोवाई गई करी उपनिवार मंत्री/ मरु मण्डलस्थित क्षेत्र के कालो प्रकारो सुदम प्रकृति में स्वच्छिप किया जाता है</p> <p style="text-align: right;">  स.स.स. </p>	

M